न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **253/2020** दायर दिनाँक **16.09.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. किशनलाल दत्तक पुत्र स्व0 मंगाराम जाति माली निवासी सिंघीबास, डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोविन्दसिंह पुत्र बुद्धा उर्फ बुद्धदेव 2. बजरंगसिंह पुत्र बुद्धा उर्फ बुद्धदेव 3. हनुमानसिंह पुत्र बुद्धा उर्फ बुद्धदेव 4. महावीरसिंह पुत्र बुद्धा उर्फ बुद्धदेव समस्त जाति माली चौहान निवासी सिंघीबास, डीडवाना जिला नागौर राज0। 5. मनोहरसिंह पुत्र नेमीचन्द जाति माली निवासी काटलाबास, डीडवाना। 6. राजकुमार सांखला पुत्र रमेशचन्द सांखला जाति माली निवासी सिंघीबास, डीडवाना जिला नागौर राज0। 7. हबीब खां पुत्र सोडू खां जाति भाट मुसलमान निवासी सूपका तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 8. सीता पुत्री धन्नीदेवी पत्नि स्व0 गीगाराम जाति माली निवासी डीडवाना हाल निवासी कुड़ली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. चम्पा पुत्री स्व0 धन्नी देवी पत्नि सुगनसिंह सिंगोदिया जाति माली निवासी डीडवाना हाल निवासी आडकाबास, डीडवाना जिला नागौर राज0। 10. मुन्नीदेवी पुत्री स्व0 धन्नीदेवी पत्नि माणकचन्द जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना जिला नागौर राज0। 11. सन्तोष पुत्री स्व0 धन्नीदेवी पत्नि रमेश चन्द जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना जिला नागौर राज0। 12. तहसीलदार डीडवाना । 13. बद्रीप्रसाद वैष्णव पुत्र जानकीदास वैष्णव जाति वैष्णव निवासी सॉई विहार कॉलोनी गुलाब बाडी अजमेर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:30:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थितः–

1. श्री समदर सिंह, वकील वादी।
2. श्री अजीत सिंह वकील प्रतिवादी
3. श्री मो0 अली शैरानी वकील प्रतिवादी सं0 07

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **18.10.2021**

उक्त प्रकारण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया प्रार्थना पत्र के संक्षेप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि –

1. यह है कि वादी ने उक्त वाद वाकै शरहद डीडवाना खेत खसरा सं0 2258, 2257, 3974/2257 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 1825, 3976/1831, 1831 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा का उक्त खसरान के खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है, जबकि इससे पूर्व वादी के पिता मालू उर्फ मालाराम ने वाद सं0 254/14 (388/14) मालू उर्फ मालाराम बनाम गोविन्द सिंह वगै0 नाम से इन्हीं खसरान बाबत श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस वाद में वादी किशनलाल भी बतौर प्रतिवादी पक्षकार था। जिस वाद का न्यायलय श्रीमान द्वारा सुनवाई कर अन्तिम रूप से विनिश्चय किया जा चूका है। इसलिए पूर्वन्याय के सिद्धान्त के आधार पर अब उक्त वाद का विचारण न्यायालय द्वारा होने के कारण यह वाद चलने योग्य नही है। इसलिए यह वाद खारिज किये जाने योग्य है। निर्णय की छाया प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत है।
2. यह है कि वादी ने उक्त वाद केवल मात्र प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने व न्यायालय का समय बर्बाद करने हेतु ही प्रस्तुत किया है, जो प्रांगन्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

अनवान प्रकरण में वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का जवाब पेश कर निवेदन किया कि

1. यह है कि प्रार्थना–पत्र का पद सं0 01 के संबन्ध में निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित रेवन्यू वाद [illegible] प्रतिवादीगण सं0 01 ता 05 ने मिलीभगत कर मात्र बंटवारा का [illegible] प्रस्तुत [illegible] किया था तथा उक्त वाद में मुझ वादी को कोई जानकारी नहीं होने [illegible] था न ही मुझ उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वाद का नोटिस प्राप्त हुआ तथा उक्त वाद में किसी प्रकार की कोई खातेदारी घोषणा का अनुतोष नही चाहा गया था, यह वाद मात्र बंटवारा का था। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।

2. यह है कि प्रार्थना–पत्र का पद सं0 02 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।

–: विशेष कथन :–

1. यह है कि वादी धन्नी देवी पत्नी मंगाराम का दत्तक पुत्र है तथा धन्नी देवी ने वादी की पैत्रिक समस्त कृर्षि भूमियां बाले–बाले वादी की जानकारी में लाये बिना प्रतिवादीगण सं0 01 ता 07 के पक्ष में रजिस्टर्ड बैचाणनामें फौरी तौर पर निष्पादित कर दिये, जिसका वादी को ज्ञान होने पर वादी ने उक्त समस्त बैचाणनामों को सिविल न्यायालय डीडवाना में चुनौती दी तथा उक्त सिविल न्यायालय द्वारा वादी का वाद इस आधार पर अपास्त कर दिया की वादी सक्षम न्यायालय से अपनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवा ली जाती तब तक प्रशनगत बैचाणनामों को शून्य एवम् निष्प्रभावी घोषित करवाने का अधिकार नही है। उक्त सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.11.2019 के पश्चात वादी ने श्रीमान के न्यायालय में अपने खातेदारी की घोषणा करवाने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है, जो विधिसंगत है।
2. यह है कि प्रतिवादीगण ने उपरोक्त प्रार्थना–पत्र वाद को लम्बा करने की नियत से पेश किया है। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित रेवन्यू वाद वादी से मिलीभगत करके बंटवारा बाबत प्रस्तुत किया था, इसमें वाद में किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा नहीं मांगी गई और ना ही किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई खातेदारी किसी के पक्ष में घोषित की गई, जिससे स्पष्ट है कि वादी का वाद में पूर्वन्याय के सिद्धान्त के नियम लागु नहीं होते। जिससे प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। न ही उक्त वाद से वादी के हितों पर कोई दुष्प्रभाव पड़ा है।

अतः प्रार्थना–पत्र जवाब आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का वादी की और से पेश कर अनुरोध है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारीज फरमाये जाने का सादर आदेश फरमावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा सं0 2258, 2257, 3974/2257 व खसरा सं0 1825, 3976/1831, 1831 से संबन्धित वाद पूर्व में वादी के पिता मालू उर्फ मालाराम ने वाद सं0 254/14 (388/14) बअनुवान मालू उर्फ मालाराम बनाम गोविन्द सिंह वगै0 इन्ही खसरान का वाद न्यायालय हाजा में निर्णित हो चूका है जिससे सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है एवं पूर्व में निर्णित प्रकरण से संबन्धित खसरान् पर पुनः सुनवाई किया न्यायोचित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अतः उक्त वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से प्रतिबन्धित है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य सही होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **18.10.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner